

न्यायालय:—सदस्य द्वितीय मोटरयान दुर्घटना, दावा अधिकरण, गोहद  
(समक्ष: पी0सी0आर्य)

क्लेम प्रकरण क्रमांक: 20 / 2014  
संस्थित दिनांक—13 / 01 / 2011  
फाइलिंग नं—230303000262011

प्रहलाद सिंह पुत्र प्रीतम सिंह  
उम्र 44 साल धंधा मजूदरी व खेती  
निवासी ग्राम कनीपुरा थाना गोहद चौराहा

..... आवेदक

वि रू द्ध

- 1— शत्रुधन पुत्र रामदास शर्मा,  
35 साल निवासी ग्राम चंदोखर  
परगना गोहद जिला भिण्ड ..... चालक
- 2— रामदास पुत्र गंगाराम शर्मा आयु 60 साल  
निवासी ग्राम चंदोखर थाना एण्डोरी.....मालिक
- 3— एच.डी.एफ.सी. एग्रो जनरल इश्योरेंस  
बीमा कंपनी लिमिटेड  
गंगाराम बैंक कन्हैया इटावा उ0प्र0 .....बीमा कंपनी

एवं

क्लेम प्रकरण क्रमांक: 22 / 2014  
संस्थित दिनांक—13 / 01 / 2011  
फाइलिंग नं—230303000232011

कल्पना पुत्री हेतसिंह कुशवाह, आयु 18 साल  
धंधा मजदूरी निवासी ग्राम कनीपुरा  
थाना गोहद चौराहा परगना गोहद

..... आवेदक

वि रू द्ध

- 1— शत्रुधन पुत्र रामदास शर्मा,  
35 साल निवासी ग्राम चंदोखर  
परगना गोहद जिला भिण्ड ..... चालक
- 2— रामदास पुत्र गंगाराम शर्मा आयु 60 साल  
निवासी ग्राम चंदोखर थाना एण्डोरी.....मालिक
- 3— एच.डी.एफ.सी. एग्रो जनरल इश्योरेंस  
बीमा कंपनी लिमिटेड  
गंगाराम बैंक कन्हैया इटावा उ0प्र0 .....बीमा कंपनी

एवं

क्लेम प्रकरण क्रमांक: 23 / 2014  
संस्थित दिनांक-13 / 01 / 2011  
फाइलिंग नं-230303000612011

श्रीमती सुनीता पत्नी इन्दर सिंह कुशवाह,  
उम्र 35 साल धंधा मजदूरी,  
निवासी ग्राम कनीपुरा परगना गोहद

-----आवेदिका

वि रू द्ध

- 1- शत्रुधन पुत्र रामदास शर्मा,  
35 साल निवासी ग्राम चंदोखर  
परगना गोहद जिला भिण्ड ..... चालक
- 2- रामदास पुत्र गंगाराम शर्मा आयु 60 साल  
निवासी ग्राम चंदोखर थाना एण्डोरी.....मालिक
- 3- एच.डी.एफ.सी. एग्रो जनरल इश्योरेंस  
बीमा कंपनी लिमिटेड  
गंगाराम बैंक कन्हैया इटावा उ0प्र0 .....बीमा कंपनी

एवं

क्लेम प्रकरण क्रमांक: 24 / 2014  
संस्थित दिनांक-13 / 01 / 2011  
फाइलिंग नं-230303000272011

श्रीमती शांतिबाई पत्नी हेतसिंह कुशवाह,  
उम्र 40 साल धंधा मजदूरी,  
निवासी ग्राम कनीपुरा परगना गोहद

-----आवेदिका

वि रू द्ध

- 1- शत्रुधन पुत्र रामदास शर्मा,  
35 साल निवासी ग्राम चंदोखर  
परगना गोहद जिला भिण्ड ..... चालक
- 2- रामदास पुत्र गंगाराम शर्मा आयु 60 साल  
निवासी ग्राम चंदोखर थाना एण्डोरी.....मालिक
- 3- एच.डी.एफ.सी. एग्रो जनरल इश्योरेंस  
बीमा कंपनी लिमिटेड  
गंगाराम बैंक कन्हैया इटावा उ0प्र0 .....बीमा कंपनी

---

आवेदकगण द्वारा श्री जी०एस० गुर्जर अधिवक्ता ।  
अनावेदक क्रमांक-1 व 2 द्वारा श्री एम०एस० यादव अधिवक्ता ।  
अनावेदक क्रमांक-3 द्वारा श्री राकेश चन्द्र गुप्ता अधिवक्ता

---

**—::— अधि-निर्णय —::—**

(आज दिनांक 08/05/2015 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. आवेदकगण की ओर से उक्त आवेदनपत्र अंतर्गत धारा-166 मोटर दुर्घटना अधिनियम 1988 के अंतर्गत वाहन दुर्घटना में आयी साधारण और गंभीर चोटों के फलस्वरूप हुई शारीरिक, मानसिक पीडा एवं इलाज में लगे व्यय की क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत करते हुए आवेदक प्रहलाद को कुल 86,500/-रुपये एवं आवेदिका कुमारी कल्पना कुशवाह को कुल 77,000/-रुपये, आवेदिका श्रीमती सुनीता कुशवाह को कुल 68,000/-रुपये तथा आवेदिका श्रीमती शांतिबाई कुशवाह को कुल 98,000/-रुपये अनावेदकगण से संयुक्ततः एवं पृथक्कतः मय ब्याज सहित मय खर्च के दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत किया है ।
2. प्रकरण में यह निर्विवादित है कि अनावेदक क्रमांक-02 बताये गये दुर्घटनाकारी वाहन का पंजीकृत स्वामी है और उसका नियोजित चालक अनावेदक क्रमांक-1 दुर्घटना के समय दुर्घटनाकारी वाहन का चालन कर रहा था एवं आवेदिका कुमारी कल्पना कुशवाह की मां आवेदिका श्रीमती शांतिबाई है, यह भी निर्विवादित तथ्य है कि सभी आहतगण/आवेदकगण ग्राम कनीपुरा परगना गोहद के निवासी हैं ।
3. क्लेम प्रकरण क्रमांक-20/2014 में आवेदक प्रहलाद सिंह का आवेदन सार संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक-30/05/2010 को शाम 6:30 बजे चंदोखर से अनावेदक क्र.-2 रामदास के ट्रैक्टर स्वराज क्रमांक-यू.पी.-75/ 9232 में बैठकर अन्य आवेदकगण के साथ आ रहा था, तब ट्रैक्टर ट्रॉली के चालक अनावेदक क्र.-01 शत्रुधन सिंह ने ट्रैक्टर ट्रॉली को तेजी व लापरवाही से चलाकर ग्राम लोधे की पाली के पास पीपल के पेड़ के पास मोड़ पर पलट दिया, जिससे आवेदक के बांये पैर, पेट के बांयी तरफ व शरीर में जगह जगह गंभीर चोटें होकर खून निकला तथा अन्य लोगों को भी चोटें आकर घायल हो गये ।
4. घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना गौहद चौराहा में फरियादी हेतसिंह ने लिखाई गई जो अपराध क्रमांक 82/10 पर कायम हुई। विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आया कि उक्त दुर्घटनाकारी ट्रैक्टर ट्रॉली का चालक शत्रुधन एवं मालिक रामदास हैं। गंभीर चोटों के आधार पर धारा-279, 337, 338 भा०दं०सं० का

मामला दर्ज किया गया। दुर्घटना में आई चोटों के फलस्वरूप आवेदक प्रहलाद का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गौहद में चला। जहाँ उसका इलाज हुआ, जिसमें भर्ती रहने, दवाई और डाक्टर की फीस, प्लास्टर, देखरेख, खानपान में तथा आवागमन में खर्च हुए तथा उनको स्थाई अपंगता आ गयी है, जिसकी क्षतिपूर्ति के लिए आवेदक प्रहलाद सिंह को कुल 86,500/-रूपये अनावेदकगण से दिलाये जाने की प्रार्थना की गई है।

5. अनावेदक क्रमांक— 1 व 2 की ओर से जवाबदावा पेशकर अभिवचनित किया गया है कि उनके वाहन से कोई दुर्घटना नहीं हुई है, उनका वाहन पेड से टकराकर पलट गया था, किन्तु आवेदक को अज्ञात वाहन से चोटें आयी हैं। आवेदक ने गलत तथ्यों पर क्लेम याचिका पेश की है, अनावेदक क्रमांक— 1 व 2 क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी न होना बताते हुए आवेदक की क्लेम याचिका निरस्त किए जाने का निवेदन किया है।

6. अनावेदक क्रमांक—3 बीमा कंपनी की ओर से जवाबदावा पेशकर अभिवचनित किया गया कि दुर्घटनाकारी वाहन क्रमांक—यू.पी.—75—9232 घटना दिनांक को अनावेदक क्र.—3 बीमा कंपनी के यहां बीमित नहीं था। आवेदक द्वारा प्रतिकर की राशि बहुत बढा चढाकर लिखी है, उसके इलाज में दर्शाये गये रुपये नहीं खर्च हुए। आवेदक ने कुल प्रतिकर बीमा कंपनी से रुपये हड़पने के लिए लिख दिये हैं, वाहन चालक एवं वाहन मालिक के पास वैध एवं प्रभावहीन ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। दुर्घटना की सूचना बीमा कंपनी को नहीं दी गयी इस कारण बीमा कंपनी उत्तरदायी नहीं है। पक्षकारों द्वारा आपस में संधि कर ली है। विशेष आपत्ति करते हुए निवेदन किया कि अनावेदक क्र.—1 के द्वारा अनावेदक क्र.—2 की सहमति से बिना वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस के दुर्घटनाकारी वाहन चलाया जा रहा था, अनावेदक क्र.—1 व 2 के द्वारा उक्त ट्रैक्टर ट्रॉली बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन करते हुए कृषि प्रयोजन से भिन्न व्यावसायिक रूप से भाडे पर यात्रियों को ढोने के लिए किया जा रहा था जिसमें आवेदक अन्य सवारियों के साथ बैठकर यात्रा कर रहा था। पुलिस थाना गौहद चौराहा के द्वारा दुर्घटना की सूचना 30 दिन के भीतर बीमा कंपनी को नहीं भेजी गयी, जिससे क्लेम याचिका निरस्त किए जाने योग्य है एवं ट्रैक्टर की ट्रॉली अनावेदक क्र.—3 के यहां बीमित नहीं थी, प्रकरण में बीमा कंपनी की छायाप्रति कूटरचित व फर्जी है। आवेदक को किसी प्रकार की स्थाई अशक्तता/विकलांगता कारित नहीं हुई है। अपंगता प्रमाणपत्र भी पेश नहीं किया गया है, आवेदक को चोटें आना व फैक्चर होना तथा इलाज चलना भी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं हुआ है, आवेदक के द्वारा इलाज के पर्चे व बिल प्रकरण में पेश नहीं हैं। अतः क्लेम याचिका निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

7. क्लेम प्रकरण क्रमांक-20/2014 में उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में पूर्वाधिकारी द्वारा निम्नवाद प्रश्न विरचित किये गये जिन पर निकाले गये निष्कर्ष उनके समक्ष अंकित है ।

	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या, दिनांक-30/5/2010 को 6:30 बजे शाम लोधे की पाली चंदोखर रोड थाना गोहद चौराहा में अनावेदक क्र.-1 ने अनावेदक क्र.-2 के स्वामित्व के ट्रैक्टर क्रमांक- यू.पी.-75/9232 को तेजी व लापरवाही से चलाकर पलट दिया, जिससे उसमें बैठे आवेदक को गंभीर चोटें आईं?	
2	क्या, आवेदक उक्त दुर्घटना में आई चोटों के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति राशि पाने का अधिकारी है ? यदि हां तो किससे व कितनी ?	
3	सहायता एवं व्यय ।	
-::-- अतिरिक्तवादप्रश्न--::-		
4	क्या, घटना दिनांक को प्रश्नाधीन ट्रैक्टर मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन कर एवं बीमा पॉलिसी की शर्तों के विपरीत चलाया जा रहा था ? यदि हां तो प्रभाव ?	

8. क्लेम प्रकरण क्रमांक-22/2014 में आवेदिका कुमारी कल्पना का आवेदन सार संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक-30/05/2010 को शाम 6:30 बजे चंदोखर से अनावेदक क्र.-2 रामदास के ट्रैक्टर स्वराज क्रमांक-यू.पी.-75/9232 में बैठकर अन्य आवेदकगण के साथ आ रही थी, तब ट्रैक्टर ट्रॉली के चालक अनावेदक क्र.-01 शत्रुधन सिंह ने ट्रैक्टर ट्रॉली को तेजी व लापरवाही से चलाकर ग्राम लोधे की पाली के पास पीपल के पेड़ के पास मोड़ पर पलट दिया, जिससे आवेदिका के माथे व दांये हाथ, दांतों में चोट आकर खून निकला व पीठ में मूंदी गंभीर चोट आयी तथा अन्य लोगों को भी चोटें आकर घायल हो गये ।

9. घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना गौहद चौराहा में फरियादी हेतसिंह ने लिखाई गई जो अपराध क्रमांक 82/10 पर कायम हुई। विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आया कि उक्त दुर्घटनाकारी ट्रैक्टर ट्रॉली का चालक शत्रुधन एवं मालिक रामदास हैं। गंभीर चोटों के आधार पर धारा-279, 337, 338 भा0दं0सं0 का मामला दर्ज किया गया। दुर्घटना में आई चोटों के फलस्वरूप आवेदिका का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में चला। जहाँ उसका इलाज हुआ, जिसमें भर्ती रहने, दवाई और डाक्टर की फीस,

प्लास्टर, देखरेख, खानपान में तथा आवागमन में खर्च हुए तथा उनको स्थाई अपंगता आ गयी है, जिसकी क्षतिपूर्ति के लिए आवेदिका कुमारी कल्पना को कुल 77,000/-रुपये अनावेदकगण से दिलाये जाने की प्रार्थना की गई है।

10. अनावेदक क्रमांक- 1 व 2 की ओर से जवाबदावा पेशकर अभिवचनित किया गया है कि उनके वाहन से कोई दुर्घटना नहीं हुई है, उनका वाहन पेड से टकराकर पलट गया था, किन्तु आवेदक को अज्ञात वाहन से चोटें आयी हैं। आवेदक ने गलत तथ्यों पर क्लेम याचिका पेश की है, अनावेदक क्रमांक- 1 व 2 क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी न होना बताते हुए आवेदिका की क्लेम याचिका निरस्त किए जाने का निवेदन किया है।

11. अनावेदक क्रमांक-3 बीमा कंपनी की ओर से जवाबदावा पेशकर अभिवचनित किया गया कि दुर्घटनाकारी वाहन क्रमांक-यू.पी.-75-9232 घटना दिनांक को अनावेदक क्र.-3 बीमा कंपनी के यहां बीमित नहीं था। आवेदिका द्वारा प्रतिकर की राशि बहुत बढा चढाकर लिखी है, उसके इलाज में दर्शाये गये रुपये नहीं खर्च हुए। आवेदिका ने कुल प्रतिकर बीमा कंपनी से रुपये हडपने के लिए लिख दिये हैं, वाहन चालक एवं वाहन मालिक के पास वैध एवं प्रभावहीन ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। दुर्घटना की सूचना बीमा कंपनी को नहीं दी गयी इस कारण बीमा कंपनी उत्तरदायी नहीं है। पक्षकारों द्वारा आपस में संधि कर ली है। विशेष आपत्ति करते हुए निवेदन किया कि अनावेदक क्र.-1 के द्वारा अनावेदक क्र.-2 की सहमति से बिना वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस के दुर्घटनाकारी वाहन चलाया जा रहा था, अनावेदक क्र.-1 व 2 के द्वारा उक्त ट्रैक्टर ट्रॉली बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन करते हुए कृषि प्रयोजन से भिन्न व्यावसायिक रूप से भाडे पर यात्रियों को ढोने के लिए किया जा रहा था जिसमें आवेदिका अन्य सवारियों के साथ बैठकर यात्रा कर रही थी। पुलिस थाना गौहद चौराहा के द्वारा दुर्घटना की सूचना 30 दिन के भीतर बीमा कंपनी को नहीं भेजी गयी, जिससे क्लेम याचिका निरस्त किए जाने योग्य है एवं ट्रैक्टर की ट्रॉली अनावेदक क्र.-3 के यहां बीमित नहीं थी, प्रकरण में बीमा कंपनी की छायाप्रति कूटरचित व फर्जी है। आवेदिका को किसी प्रकार की स्थाई अशक्तता/विकलांगता कारित नहीं हुई है। अपंगता प्रमाणपत्र भी पेश नहीं किया गया है, आवेदक को चोटें आना व फैक्चर होना तथा इलाज चलना भी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं हुआ है, आवेदक के द्वारा इलाज के पर्चे व बिल प्रकरण में पेश नहीं है। अतः क्लेम याचिका निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

12. क्लेम प्रकरण क्रमांक-22/2014 में उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में पूर्वाधिकारी द्वारा निम्नवाद प्रश्न विरचित किये गये जिन पर निकाले गये निष्कर्ष उनके समक्ष अंकित

है ।

	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या, दिनांक-30/5/2010 को 6:30 बजे शाम लोधे की पाली चंदोखर रोड थाना गोहद चौराहा में अनावेदक क्र.-1 ने अनावेदक क्र.-2 के स्वामित्व के ट्रैक्टर क्रमांक- यू.पी.-75/9232 को तेजी व लापरवाही से चलाकर पलट दिया, जिससे उसमें बैठी आवेदिका को गंभीर चोटें आई?	
2	क्या, आवेदक उक्त दुर्घटना में आई चोटों के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति राशि पाने का अधिकारी है ? यदि हां तो किससे व कितनी ?	
3	सहायता एवं व्यय ।	
<b>-::-- अतिरिक्त वादप्रश्न--::-</b>		
4	क्या, घटना दिनांक को प्रश्नाधीन ट्रैक्टर मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन कर एवं बीमा पॉलिसी की शर्तों के विपरीत चलाया जा रहा था ? यदि हां तो प्रभाव ?	

13. क्लेम प्रकरण क्रमांक-23/2014 में आवेदिका श्रीमती सुनीता पत्नी इन्दर सिंह कुशवाह का आवेदन सार संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक-30/05/2010 को शाम 6:30 बजे चंदोखर से अनावेदक क्र.-2 रामदास के ट्रैक्टर स्वराज क्रमांक-यू.पी.-75/9232 में बैठकर अन्य आवेदकगण के साथ आ रही थी, तब ट्रैक्टर ट्रॉली के चालक अनावेदक क्र.-01 शत्रुधन सिंह ने ट्रैक्टर ट्रॉली को तेजी व लापरवाही से चलाकर ग्राम लोधे की पाली के पास पीपल के पेड़ के पास मोड़ पर पलट दिया, जिससे आवेदिका के सिर व शरीर में गंभीर चोट आयी तथा अन्य लोगों को भी चोटें आकर घायल हो गये ।

14. घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना गौहद चौराहा में फरियादी हेतसिंह ने लिखाई गई जो अपराध क्रमांक 82/10 पर कायम हुई। विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आया कि उक्त दुर्घटनाकारी ट्रैक्टर ट्रॉली का चालक शत्रुधन एवं मालिक रामदास हैं। गंभीर चोटों के आधार पर धारा-279, 337, 338 भा0दं0सं0 का मामला दर्ज किया गया। दुर्घटना में आई चोटों के फलस्वरूप आवेदिका का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में चला। जहाँ उसका इलाज हुआ, जिसमें भर्ती रहने, दवाई और डाक्टर की फीस, प्लास्टर, देखरेख, खानपान में तथा आवागमन में खर्च हुए तथा

उनको स्थाई अपंगता आ गयी है, जिसकी क्षतिपूर्ति के लिए आवेदिका श्रीमती सुनीता को कुल 68,000/-रूपये अनावेदकगण से दिलाये जाने की प्रार्थना की गई है।

15. अनावेदक क्रमांक- 1 व 2 की ओर से जवाबदावा पेशकर अभिवचनित किया गया है कि उनके वाहन से कोई दुर्घटना नहीं हुई है, उनका वाहन पेड से टकराकर पलट गया था, किन्तु आवेदक को अज्ञात वाहन से चोटें आयी हैं। आवेदिका ने गलत तथ्यों पर क्लेम याचिका पेश की है, अनावेदक क्रमांक- 1 व 2 क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी न होना बताते हुए आवेदिका की क्लेम याचिका निरस्त किए जाने का निवेदन किया है।

16. अनावेदक क्रमांक-3 बीमा कंपनी की ओर से जवाबदावा पेशकर अभिवचनित किया गया कि दुर्घटनाकारी वाहन क्रमांक-यू.पी.-75-9232 घटना दिनांक को अनावेदक क्र.-3 बीमा कंपनी के यहां बीमित नहीं था। आवेदिका द्वारा प्रतिकर की राशि बहुत बड़ा चढाकर लिखी है, उसके इलाज में दर्शाये गये रुपये नहीं खर्च हुए। आवेदिका ने कुल प्रतिकर बीमा कंपनी से रुपये हड़पने के लिए लिख दिये हैं, वाहन चालक एवं वाहन मालिक के पास वैध एवं प्रभावहीन ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। दुर्घटना की सूचना बीमा कंपनी को नहीं दी गयी इस कारण बीमा कंपनी उत्तरदायी नहीं है। पक्षकारों द्वारा आपस में संधि कर ली है। विशेष आपत्ति करते हुए निवेदन किया कि अनावेदक क्र.-1 के द्वारा अनावेदक क्र.-2 की सहमति से बिना वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस के दुर्घटनाकारी वाहन चलाया जा रहा था, अनावेदक क्र.-1 व 2 के द्वारा उक्त ट्रैक्टर ट्रॉली बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन करते हुए कृषि प्रयोजन से भिन्न व्यावसायिक रूप से भाड़े पर यात्रियों को ढोने के लिए किया जा रहा था जिसमें आवेदिका अन्य सवारियों के साथ बैठकर यात्रा कर रही थी। पुलिस थाना गौहद चौराहा के द्वारा दुर्घटना की सूचना 30 दिन के भीतर बीमा कंपनी को नहीं भेजी गयी, जिससे क्लेम याचिका निरस्त किए जाने योग्य है एवं ट्रैक्टर की ट्रॉली अनावेदक क्र.-3 के यहां बीमित नहीं थी, प्रकरण में बीमा कंपनी की छायाप्रति कूटरचित व फर्जी है। आवेदिका को किसी प्रकार की स्थाई अशक्तता/विकलांगता कारित नहीं हुई है। अपंगता प्रमाणपत्र भी पेश नहीं किया गया है, आवेदक को चोटें आना व फैंक्चर होना तथा इलाज चलना भी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं हुआ है, आवेदक के द्वारा इलाज के पर्चे व बिल प्रकरण में पेश नहीं है। अतः क्लेम याचिका निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

17. क्लेम प्रकरण क्रमांक-23/2014 में उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में पूर्वाधिकारी द्वारा निम्नवाद प्रश्न विरचित किये गये जिन पर निकाले गये निष्कर्ष उनके समक्ष अंकित है।



वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या, दिनांक-30/5/2010 को 6:30 बजे शाम लोधे की पाली चंदोखर रोड थाना गोहद चौराहा में अनावेदक क्र.-1 ने अनावेदक क्र.-2 के स्वामित्व के ट्रैक्टर क्रमांक- यू.पी.-75/9232 को तेजी व लापरवाही से चलाकर पलट दिया, जिससे उसमें बैठी आवेदिका को गंभीर चोटें आई?
2	क्या, आवेदक उक्त दुर्घटना में आई चोटों के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति राशि पाने का अधिकारी है ? यदि हां तो किससे व कितनी ?
3	सहायता एवं व्यय ।
<b>-::-- अ ति रि क त वा द प्र श न--::-</b>	
4	क्या, घटना दिनांक को प्रश्नाधीन ट्रैक्टर मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन कर एवं बीमा पॉलिसी की शर्तों के विपरीत चलाया जा रहा था ? यदि हां तो प्रभाव ?

18. क्लेम प्रकरण क्रमांक-24/2014 में आवेदिका श्रीमती शांतिबाई पत्नी हेतसिंह कुशवाह का आवेदन सार संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक-30/05/2010 को शाम 6:30 बजे चंदोखर से अनावेदक क्र.-2 रामदास के ट्रैक्टर स्वराज क्रमांक-यू.पी.-75/9232 में बैठकर अन्य आवेदकगण के साथ आ रही थी, तब ट्रैक्टर ट्रॉली के चालक अनावेदक क्र.-01 शत्रुधन सिंह ने ट्रैक्टर ट्रॉली को तेजी व लापरवाही से से चलाकर ग्राम लोधे की पाली के पास पीपल के पेड़ के पास मोड़ पर पलट दिया, जिससे आवेदिका के सिर, दांयी आंख के पास व निचले ओंठ में गंभीर चोट आयी तथा अन्य लोगों को भी चोटें आकर घायल हो गये ।

19. घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना गौहद चौराहा में फरियादी हेतसिंह ने लिखाई गई जो अपराध क्रमांक 82/10 पर कायम हुई। विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आया कि उक्त दुर्घटनाकारी ट्रैक्टर ट्रॉली का चालक शत्रुधन एवं मालिक रामदास हैं। गंभीर चोटों के आधार पर धारा-279, 337, 338 भा0दं0सं0 का मामला दर्ज किया गया। दुर्घटना में आई चोटों के फलस्वरूप आवेदिका का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोहद में चला। जहाँ उसका इलाज हुआ, जिसमें भर्ती रहने, दवाई और डाक्टर की फीस, प्लास्टर, देखरेख, खानपान में तथा आवागमन में खर्च हुए तथा उनको स्थाई अपंगता आ गयी है, जिसकी क्षतिपूर्ति के लिए आवेदिका श्रीमती शांतिदेवी को कुल 98,000/-रुपये

अनावेदकगण से दिलाये जाने की प्रार्थना की गई है।

20. अनावेदक क्रमांक— 1 व 2 की ओर से जवाबदावा पेशकर अभिवचनित किया गया है कि उनके वाहन से कोई दुर्घटना नहीं हुई है, उनका वाहन पेड से टकराकर पलट गया था, किन्तु आवेदक को अज्ञात वाहन से चोटें आयी हैं। आवेदिका ने गलत तथ्यों पर क्लेम याचिका पेश की है, अनावेदक क्रमांक— 1 व 2 क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी न होना बताते हुए आवेदिका की क्लेम याचिका निरस्त किए जाने का निवेदन किया है।

21. अनावेदक क्रमांक—3 बीमा कंपनी की ओर से जवाबदावा पेशकर अभिवचनित किया गया कि दुर्घटनाकारी वाहन क्रमांक—यूपी.—75—9232 घटना दिनांक को अनावेदक क्र.—3 बीमा कंपनी के यहां बीमित नहीं था। आवेदिका द्वारा प्रतिकर की राशि बहुत बढा चढाकर लिखी है, उसके इलाज में दर्शाये गये रुपये नहीं खर्च हुए। आवेदिका ने कुल प्रतिकर बीमा कंपनी से रुपये हड़पने के लिए लिख दिये हैं, वाहन चालक एवं वाहन मालिक के पास वैध एवं प्रभावहीन ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। दुर्घटना की सूचना बीमा कंपनी को नहीं दी गयी इस कारण बीमा कंपनी उत्तरदायी नहीं है। पक्षकारों द्वारा आपस में संधि कर ली है। विशेष आपत्ति करते हुए निवेदन किया कि अनावेदक क्र.—1 के द्वारा अनावेदक क्र.—2 की सहमति से बिना वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस के दुर्घटनाकारी वाहन चलाया जा रहा था, अनावेदक क्र.—1 व 2 के द्वारा उक्त ट्रैक्टर ट्रॉली बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन करते हुए कृषि प्रयोजन से भिन्न व्यावसायिक रूप से भाड़े पर यात्रियों को ढोने के लिए किया जा रहा था जिसमें आवेदिका अन्य सवारियों के साथ बैठकर यात्रा कर रही थी। पुलिस थाना गौहद चौराहा के द्वारा दुर्घटना की सूचना 30 दिन के भीतर बीमा कंपनी को नहीं भेजी गयी, जिससे क्लेम याचिका निरस्त किए जाने योग्य है एवं ट्रैक्टर की ट्रॉली अनावेदक क्र.—3 के यहां बीमित नहीं थी, प्रकरण में बीमा कंपनी की छायाप्रति कूटरचित व फर्जी है। आवेदिका को किसी प्रकार की स्थाई अशक्तता/विकलांगता कारित नहीं हुई है। अपंगता प्रमाणपत्र भी पेश नहीं किया गया है, आवेदक को चोटें आना व फैंक्चर होना तथा इलाज चलना भी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं हुआ है, आवेदक के द्वारा इलाज के पर्चे व बिल प्रकरण में पेश नहीं हैं। अतः क्लेम याचिका निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

22. क्लेम प्रकरण क्रमांक—24/2014 में उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में पूर्वाधिकारी द्वारा निम्नवाद प्रश्न विरचित किये गये जिन पर निकाले गये निष्कर्ष उनके समक्ष अंकित है।

वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या, दिनांक-30/5/2010 को 6:30 बजे शाम लोधे की पाली चंदोखर रोड थाना गोहद चौराहा में अनावेदक क्र.-1 ने अनावेदक क्र.-2 के स्वामित्व के ट्रैक्टर क्रमांक- यू.पी.-75/9232 को तेजी व लापरवाही से चलाकर पलट दिया, जिससे उसमें बैठी आवेदिका को गंभीर चोटें आई?
2	क्या, आवेदक उक्त दुर्घटना में आई चोटों के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति राशि पाने का अधिकारी है ? यदि हां तो किससे व कितनी ?
3	सहायता एवं व्यय ।
-:- अतिरिक्तवादप्रश्न-:-	
4	क्या, घटना दिनांक को प्रश्नाधीन ट्रैक्टर मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन कर एवं बीमा पॉलिसी की शर्तों के विपरीत चलाया जा रहा था ? यदि हां तो प्रभाव ?

-:- निष्कर्ष के आधार -:-

23. क्लेम प्रकरण क्रमांक-20/2014 में आवेदक प्रहलाद सिंह की ओर से स्वयं आवेदक प्रहलाद सिंह आ.सा.-1, हेतसिंह आ. सा.-2 के कथन कराये गये हैं तथा अनावेदक क्रमांक- 1 व 2 एक पक्षीय रहे हैं उनकी ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गयी है एवं अनावेदक क्रमांक-3 बीमा कंपनी की ओर से खंडन में अनिल कुमार राठौर अना.सा.-1 एवं अनावेदक क्रमांक- 1 व 2 की ओर से शत्रुधन अनावेदक साक्षी क्र.-2 की साक्ष्य पेश की गई है तथा आवेदक की ओर से वासुदेव का मुख्य परीक्षण का शपथपत्र पेश किया गया है किन्तु प्रतिपरीक्षा हेतु उसे पेश नहीं किया गया है इसलिये उसका मुख्य परीक्षण का शपथपत्र अग्राह्य किया जाता है ।
24. क्लेम प्रकरण क्रमांक-20/14 में आवेदक प्रहलाद की ओर से अपने पक्ष समर्थन में प्र0पी0-1 लगायत प्र0पी0-07 के दस्तावेज पेश किये गये हैं एवं अनावेदक क्रमांक-3 बीमा कंपनी की ओर से प्रदर्श डी.-1 लगायत 4 के दस्तावेज पेश किए गये हैं ।
25. क्लेम प्रकरण क्रमांक-22/2014 में आवेदिका कुमारी कल्पना की ओर से स्वयं आवेदिका कुमारी कल्पना आ.सा.-1, हेतसिंह आ.सा.-2 के कथन कराये गये हैं तथा अनावेदक क्रमांक- 1 व 2 एक पक्षीय रहे हैं उनकी ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गयी

है एवं अनावेदक क्रमांक-3 बीमा कंपनी की ओर से खंडन में अनिल कुमार राठौर अना.सा.-1 एवं अनावेदक क्रमांक- 1 व 2 की ओर से शत्रुधन अनावेदक साक्षी क्र.-2 की साक्ष्य पेश की गई है तथा आवेदक की ओर से वासुदेव का मुख्य परीक्षण का शपथपत्र पेश किया गया है किन्तु प्रतिपरीक्षा हेतु उसे पेश नहीं किया गया है इसलिये उसका मुख्य परीक्षण का शपथपत्र अग्राह्य किया जाता है ।

26. क्लेम प्रकरण क्रमांक-22/14 में आवेदिका कुमारी कल्पना की ओर से अपने पक्ष समर्थन में प्र0पी0-1 लगायत प्र0पी0-08 के दस्तावेज पेश किये गये हैं एवं अनावेदक क्रमांक-3 बीमा कंपनी की ओर से प्रदर्श डी.-1 लगायत 4 के दस्तावेज पेश किए गये हैं ।

27. इसी प्रकार क्लेम प्रकरण क्रमांक-23/2014 में आवेदिका श्रीमती सुनीता की ओर से स्वयं आवेदिका सुनीता आ.सा.-1, हेतसिंह आ.सा.-2 के कथन कराये गये हैं तथा अनावेदक क्रमांक- 1 व 2 एक पक्षीय रहे हैं उनकी ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गयी है एवं अनावेदक क्रमांक-3 बीमा कंपनी की ओर से खंडन में अनिल कुमार राठौर अना.सा.-1 एवं अनावेदक क्रमांक-1 व 2 की ओर से शत्रुधन अनावेदक साक्षी क्र.-2 की साक्ष्य पेश की गई है तथा आवेदिका की ओर से वासुदेव का मुख्य परीक्षण का शपथपत्र पेश किया गया है किन्तु प्रतिपरीक्षा हेतु उसे पेश नहीं किया गया है इसलिये उसका मुख्य परीक्षण का शपथपत्र अग्राह्य किया जाता है ।

28. क्लेम प्रकरण क्रमांक-23/14 में आवेदिका श्रीमती सुनीता की ओर से अपने पक्ष समर्थन में प्र0पी0-1 लगायत प्र0पी0-07 के दस्तावेज पेश किये गये हैं एवं अनावेदक क्रमांक-3 बीमा कंपनी की ओर से प्रदर्श डी.-1 लगायत 4 के दस्तावेज पेश किए गये हैं ।

29. इसी प्रकार क्लेम प्रकरण क्रमांक-24/2014 में आवेदिका श्रीमती शांतिबाई की ओर से स्वयं आवेदिका श्रीमती शांतिबाई आ.सा.-1, हेतसिंह आ.सा.-2 के कथन कराये गये हैं तथा अनावेदक क्रमांक- 1 व 2 एक पक्षीय रहे हैं उनकी ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गयी है एवं अनावेदक क्रमांक-3 बीमा कंपनी की ओर से खंडन में अनिल कुमार राठौर अना.सा.-1 एवं अनावेदक क्रमांक-1 व 2 की ओर से शत्रुधन अनावेदक साक्षी क्र.-2 की साक्ष्य पेश की गई है तथा आवेदिका की ओर से वासुदेव का मुख्य परीक्षण का शपथपत्र पेश किया गया है किन्तु प्रतिपरीक्षा हेतु उसे पेश नहीं किया गया है इसलिये उसका मुख्य परीक्षण का शपथपत्र अग्राह्य किया जाता है ।

30. क्लेम प्रकरण क्रमांक-24/14 में आवेदिका श्रीमती

शांतिबाई की ओर से अपने पक्ष समर्थन में प्र0पी0-1 लगायत प्र0पी0-07 के दस्तावेज पेश किये गये हैं एवं अनावेदक क्रमांक-3 बीमा कंपनी की ओर से प्रदर्श डी.-1 लगायत 4 के दस्तावेज पेश किये गये हैं ।

**नोट:-** इस अधिनिर्णय द्वारा क्लेम याचिका क्रमांक-20/14, 22/14, 23/14, एवं 24/14 का समेकित कर एक साथ निराकरण किया जा रहा है क्योंकि चारों प्रकरण एक ही दुर्घटना से उत्पन्न हैं। जिनके आवेदक अलग-अलग होकर शेष साक्षी चारों प्रकरणों में समान हैं और वाद प्रश्न भी समान हैं तथा साक्ष्य भी समान रूप से आई है इसलिये सुविधा की दृष्टि से व साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिये उक्त चारों याचिकाओं का निराकरण एकसाथ किया जा रहा है।

### **-:- वाद प्रश्न क0-1 -:-**

31. इस संबंध में अभिलेख पर जो साक्ष्य आई है उसमें चारों आवेदकगणों ने आ0सा0-1 के रूप में अभिसाक्ष्य देते हुए यह बताया है कि दिनांक 30.05.10 को शाम करीब साढ़े छः बज वह चंदोखर से अनावेदक क0-2 रामदास के ट्रैक्टर स्वराज क्रमांक-यू0पी0-75/9232 में बैठकर ग्राम लोधे की पाली आ रहे थे जिसमें हेतसिंह भी था। ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली भी लगी थी। ट्रैक्टर ट्रॉली को अनावेदक क0-1 शत्रुघन चला रहा था। जिसने तेजी व लापरवाही से चलाकर लाते हुए लोधे की पाली व पीपल के पेड़ के पास मेड़ पर ट्रैक्टर ट्रॉली का पलट दिया था जिससे उन्हें चोटें आई थीं और हेतसिंह को भी चोटें आई थी। घटना के बाद रिपोर्ट हुई थी। पुलिस ने मुकदमा कायम किया था। उनका मेडिकल कराया था। डॉ० आलोकशर्मा ने इलाज किया था। हेतसिंह आ0सा0-2 ने भी इसी तरह की अभिसाक्ष्य देते हुए घटना की रिपोर्ट करना बताया है।

32. आवेदकगण ने अपने कथनों में ट्रैक्टर ट्रॉली में 20-25 लोगों के बैठे होने की बात प्रतिपरीक्षण में स्वीकार की है। और यह बताया है कि ट्रैक्टर का नंबर उन्होंने रिपोर्ट में नहीं लिखाया था। इस बात से इन्कार किया है कि उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ और एक्सीडेंट में कोई चोटें नहीं आईं। प्रतिपरीक्षण में भी ट्रैक्टर रामदास का होना और शत्रुघन द्वारा चलाया जाना आया है। चारों आवेदकगणों ने चोटों के कारण भर्ती रहना बताया है और यह भी स्वीकार किया है कि उन्होंने भर्ती रहने का कोई भी रिकॉर्ड पेश नहीं किया है तथा आ0सा0-1 के रूप में आवेदकगणों के कथनों में चोटों के संबंध में यह बताया गया है कि प्रहलाद के पेट में एवं पैरों में चोटें आई थीं। सुनीता के सिर व पैरों में चोटें आई थीं। शांति की आंख के नीचे व सिर में एवं दांतों में चोटें आई थीं। और कल्पना के दांतों में, माथे में और हाथ में चोटें आई थीं।

33. आवेदकगणों की ओर से अपने अपने तर्कों में दुर्घटना के संबंध में पंजीबद्ध हुए अप0क0-82/10 धारा-279, 337 एवं 338 भा0दं0सं0 एवं मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-146/196 थाना गोहद चौराहा जिला भिण्ड के अभियोग पत्र प्र0पी0-1, एफ0आई0आर0 प्र0पी0-2, एम0एल0सी0 रिपोर्ट प्र0पी0-3, नक्शामौका प्र0पी0-4, अनावेदक क0-1

शत्रुघ्न का गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0-5, उससे ट्रैक्टर मय रजिस्ट्रेशन व ड्रायविंग लायसेन्स की प्रति के जप्त किये जाने संबंधी जप्त पत्र प्र0पी0-6, ट्रैक्टर की मेकेनिकल रिपोर्ट प्र0पी0-7 की सत्य प्रतिलिपियाँ भी प्रकरण में पेश की गई हैं। तथा ट्रैक्टर अनावेदक क0-2 रामदास द्वारा जे0एम0एफ0सी0 न्यायालय से सुपुर्दगी पर प्राप्त करते हुए उसका पंचनामा निष्पादित किया जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0पी0-8 के रूप में प्र0क0-20/14, एवं 22/14 में पेश की गई है।

34. इस संबंध में अनावेदक क0-1 व 2 की ओर से शत्रुघ्न का अनावेदक साक्षी क0-2 के रूप में अभिसाक्ष्य कराया गया है जिसने अपने मुख्य परीक्षण में यह तो स्वीकार किया है कि वह वाहन चला रहा था। और उसका वाहन पलट गया था। लेकिन जिस वाहन से दुर्घटना बताई गई वह वाहन उसने चलाने से इन्कार किया है। किन्तु उसके द्वारा प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया गया है कि वह खेती का काम करता है। अन्य कोई कार्य नहीं करता है। ट्रैक्टर चलाता है। घटना दिनांक को भी वह ट्रैक्टर चला रहा था। उसके पास सन् 2004 तक के लिये प्रभावी ड्रायविंग लायसेन्स है जो उसने पेश नहीं किया है। ट्रैक्टर उसके पिता के नाम से है जिसका रजिस्ट्रेशन और बीमा पॉलिसी की असल प्रति को उसने पेश नहीं किया है। यह भी स्वीकार किया है कि घटना दिनांक को ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली लगी थी। ट्रैक्टर पर दो लोग और ट्रॉली में चार लोग बैठे थे जिनमें से अशोक शर्मा और प्रहलाद, प्रहलाद की लडकी व पत्नी व दो अन्य लोग जो प्रहलाद के परिवार के ही थे, वे बैठे थे जो उसे रास्ते में मिल गये थे, पूर्व परिचित नहीं थे। किन्तु महिलाओं और बच्चों को देखकर उसने अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली में बिठा लिया था कोई किराया नहीं लिया था। क्योंकि वह अपने गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली को टायर बदलवाने के लिये ला रहा था। पैरा-6 में उसने यह भी स्वीकार किया है कि आवेदकगण ग्राम कनीपुरा के निवासी हैं और ट्रैक्टर में बैठे थे। हालांकि उसने इस बात से इन्कार किया है कि ट्रैक्टर को उसने तेजी व लापरवाही से चलाकर लोधे की पाली के पास पलट दिया था लेकिन यह स्वीकार किया है कि ट्रैक्टर पलटने से प्रहलाद, सुनीता, कल्पना और शांति को चोटें आई थीं जिसकी हेतसिंह ने रिपोर्ट की थी। अस्पताल इलाज के लिये ले गये थे और वह भी साथ में गया था और चारों गोहद अस्पताल में इलाज के लिये शाम को आये थे। रात भर भर्ती रहा। दूसरे दिन उनकी छुट्टी हो गयी। किसे कहां चोट आई, यह उसने जानकारी न होना कहा है।

35. अनावेदक क0-3 बीमा कंपनी का बचाव वाहन बीमित न होने, बीमा पॉलिसी कूटरचित पेश किये जाने, बिना परमिट सवारियों का परिवहन किये जाने संबंधी अभिवचन व साक्ष्य दी है जिसका विश्लेषण अतिरिक्त वाद प्रश्न क्रमांक-4 के रूप में की जावेगी।

36. इस प्रकार से अभिलेख पर जो मौखिक साक्ष्य आई है उसमें स्वयं शत्रुघ्न अना0सा0-2 द्वारा ट्रैक्टर पलटने, ट्रैक्टर ट्रॉली में आवेदकगण के बैठे होने, उनके चोटिल होने व उसके संबंध में रिपोर्ट होने की बात को स्वीकार किया है और उसकी ओर से अभिवचनाओं में लिये गये तथ्यों के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है कि अज्ञात वाहन से दुर्घटना हुई और उसके खिलाफ मामला पुलिस ने झूठा बना दिया बल्कि प्र0पी0-1 लगायत 8 के रूप में जो

दस्तावेज पेश हुए हैं, उससे इस बात की पुष्टि होती है कि दुर्घटनाकारी ट्रैक्टर अनावेदक क्र०-2 रामदास के स्वामित्व का है जो उसका पंजीकृत स्वामी है जिसे उसने सुपुर्दगी पर प्राप्त किया है। शत्रुघ्न उसका ही पुत्र होकर ट्रैक्टर चलाता है। दुर्घटना दिनांक को भी उसने ट्रैक्टर चलाना स्वीकार किया है। और प्र०पी०-2 की एफ०आई०आर० मुताबिक उसके ही ट्रैक्टर ट्रॉली में आवेदक व हेतसिंह बैठे थे जो चोटिल हुए।

37. प्र०पी०-3 के नक्शामौका से इस बात की पुष्टि होती है कि ट्रैक्टर मय ट्रॉली चंदोखर से गोहद चौराहा की ओर आ रहा था। तब रास्ते में ग्राम लोधे की पाली के मोड़ पर जहाँ पीपल का पेड़ भी है, वह पलट गया जैसा कि आवेदकगण की साक्ष्य में भी आया है। इससे प्रथम दृष्ट्या मोटर दुर्घटना मुआवजा संबंधी मामले में जो कि कल्याणकारी उपबंध है। उक्त दस्तावेजों व मौखिक साक्ष्य व अनावेदक शत्रुघ्न की स्वीकारोक्ति के आधार पर अनावेदक शत्रुघ्न के द्वारा दुर्घटनाकारी ट्रैक्टर क्रमांक-यू०पी०-75/9232 को उपेक्षापूर्वक व उतावलेपन से चलाया गया जिसके कारण ही वह मय ट्रॉली पलट गया और उसमें बैठे व्यक्तियों को चोटें आईं। प्र०पी०-6 मुताबिक ट्रैक्टर में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी और शत्रुघ्न को दुर्घटना के मामले में गिरफ्तार कर उससे ट्रैक्टर ट्रॉली मय रजिस्ट्रेशन और ड्रायविंग लायसेन्स की प्रति के जप्त किये गये हैं। बीमा पॉलिसी अनुसंधान में नहीं मिली इसी कारण प्र०पी०-1 के पेश किये गये अभियोग पत्र में मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-146 का उल्लंघन मानते हुए पुलिस द्वारा उक्त अधिनियम की धारा-196 का भी अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आवेदकगण की मेडिकल रिपोर्टें जिनकी प्रमाणित प्रतिलिपियाँ प्र०पी०-7 के रूप में चारों प्रकरणों में पेश हुए हैं उनसे आहत/आहतगण को चोटें उक्त दुर्घटना में आना प्रमाणित होते हैं।

38. जहाँ तक चोटों की प्रकृति का प्रश्न है, उसके संबंध में आवेदकगण की ओर से कोई विशेषज्ञ साक्षी अर्थात् चिकित्सक का न तो कथन कराया है न ही प्रकरण में 20 दिन या उससे अधिक समय तक भर्ती रहने का कोई अभिलेख ही पेश किया गया है जिसकी आवेदकगण ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकारोक्ति भी की है जिससे चोटों की प्रकृति विश्लेषित करने बाबत प्रकरण में केवल आपराधिक प्रकरण में हुई मेडिकल जांच रिपोर्ट ही अभिलेख पर हैं जिनका अवलोकन करने पर क्लेम याचिका क्रमांक-20/14 के आवेदक प्रहलाद को पाई गई चोटें सख्त व मौथरी वस्तु से साधारण प्रकृति की होना एम०एल०सी० रिपोर्ट प्र०पी०-3 में बताया गया है। तथा क्लेम याचिका क्रमांक-22/14 की आवेदिका कुमारी कल्पना की ओर से पेश की गई एम०एल०सी० रिपोर्ट प्र०पी०-7 में भी उसकी चोटें साधारण प्रकृति की बताई गई हैं। उसके एक्सरे रिपोर्ट प्र०पी०-8 में कोई अस्थिभंग नहीं पाया गया है। क्लेम याचिका क्रमांक-23/14 की आवेदिका श्रीमती सुनीता की ओर से संबंधित प्रकरण में पेश की गई एम०एल०सी० रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र०पी०-7 में उसकी चोट भी साधारण प्रकृति की बताई गई है तथा क्लेम याचिका क्रमांक-24/14 की आवेदिका श्रीमती शांति बाई की ओर से संबंधित प्रकरण में पेश की गई एम०एल०सी० रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र०पी०-7 में पाई गई चोटों में से उसकी चोट क्र०-1 व 2 साधारण प्रकृति की व चोट क्र०-3 जो कि उपर के दांतों में पाई



गई है जिसमें उसके मसूदे में खून आना व दांत अनुपस्थित पाया गया था जिससे वह चोट गंभीर प्रकृति की बताई गई है। इस तरह से अभिलेख पर जो चिकित्सीय साक्ष्य आई है, उससे केवल श्रीमती शांतिबाई को गंभीर उपहति आना परिलक्षित होता है। शेष आवेदकगण की चोटें साधारण प्रकृति की पाई गई हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि दिनांक 30.05.10 को शाम करीब साढ़े छः बजे ग्राम लोधे की पाली के पास आम रोड के मोड़ पर ट्रैक्टर क्रमांक-यू0पी0-75/9232 को अनावेदक क0-1 शत्रुघन द्वारा उपेक्षापूर्वक व उतावलेपन से चलाकर पलटा दिया था जिससे आवेदकगण को चोटें आई थीं। और शांति बाई को गंभीर चोटें भी आईं। फलतः वाद प्रश्न क्रमांक-1 उक्त अनुसार प्रमाणित निर्णीत किया जाता है।

#### —::— अतिरिक्त वाद प्रश्न क0-4 —::—

39. उक्त वाद प्रश्न का प्रमाण भार अनावेदक क0-3 बीमा कंपनी पर है जिसके संबंध में अनावेदक क0-3 की ओर से किये गये अभिवचनों के समर्थन में अनावेदक क0-1 के रूप में अनिल कुमार राठौर अना0सा0-1 का अभिसाक्ष्य कराया है जिसने अपने अभिसाक्ष्य में बताया है कि वह एच0डी0एफ0सी0 इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड में अन्वेषक के रूप में पदस्थ है। और उसके द्वारा उक्त प्रकरण का अन्वेषण किया गया था जिसकी उसने प्र0डी0-1 की रिपोर्ट पेश की है जिसके साथ बीमा पॉलिसी की सत्य प्रतिलिपि प्र0डी0-2 के रूप में संलग्न की गई है। और वाहन स्वामी को भेजा गया नोटिस प्र0डी0-3, उसकी रजिस्ट्री की रसीद प्र0डी0-4 पेश कर यह कहा है कि घटना दिनांक को उक्त ट्रैक्टर का उपयोग अनाधिकृत रूप से यात्रियों को सवारी के रूप में बिठालने में किया गया था। तथा उक्त ट्रैक्टर क्रमांक-यू0पी0-75/9232 का उनकी कंपनी में बीमा दिनांक 20.06.10 से 19.06.11 की अवधि के लिये किया गया था। लेकिन ट्रैक्टर घटना दिनांक को उनकी कंपनी में बीमित नहीं था। और ट्रैक्टर ट्रॉली पर बिना परमिट सवारियों ले जाई गई जिससे बीमा कंपनी उत्तरदायी नहीं है।

40. उक्त साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि बीमा पॉलिसी में कूटरचना करके उसे पेश किया गया है। कूट रचना के संबंध में उसका यह कहना है कि दुर्घटना की तिथि को वाहन बीमित बताने के उद्देश्य से कूटरचना की गई है। किन्तु उसने यह भी स्वीकार किया है कि कूटरचना के संबंध में उसके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। तथा उसे बीमा कंपनी के विधिक सलाहकार श्री रामराज ने पॉलिसी में कूटरचना की जानकारी दी थी जो उसने कथन दिनांक 10.04.15 को करीब दो माह पहले प्राप्त होना बताया है। यह स्वीकार किया है कि कूट रचना के संबंध में उसने कोई कार्यवाही नहीं की गई है न बीमा कंपनी की ओर से की जा रही है। इस बात से इन्कार किया है कि प्र0डी0-2 सी में स्वयं बीमा कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिये उसने कूटरचना की है। हालांकि यह स्वीकार किया है कि प्र0डी0-2 की सत्य प्रतिलिपि बीमा कंपनी के कार्यालय में ही तैयार हुई है तथा यह भी स्वीकार किया है कि बीमा पॉलिसी में कूटरचना के संबंध में बीमा कंपनी की ओर से कार्यवाही किये जाने के संबंध में कोई भी दस्तावेज प्रकरण में पेश नहीं है। उक्त साक्षी की अभिसाक्ष्य के दौरान



अभिलेख पर संलग्न दिनांक 30.07.13 की बीमा पॉलिसी की फोटोप्रति को आर्टिकल-ए के रूप में ग्रहण किया गया है जिसमें दिनांक 20.05.10 से 19.05.11 की अवधि अंकित है और उक्त साक्षी आर्टिकल-ए की पॉलिसी में बीमा अवधि में हेरफेर किया जाना बताता है।

41. इस संबंध में अनावेदक क्र0-1 व 2 की ओर से शत्रुघ्न अना0सा0-2 के रूप में परीक्षित कराया गया है जिसने बीमा पॉलिसी में समयावधि में कूट रचना बीमा कंपनी या उसके किसी एजेंट या कर्मचारी के द्वारा किये जाने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं दी है। स्वयं शत्रुघ्न ने पैरा-5 में यह भी स्वीकार किया है कि असल पॉलिसी उसके पास रखी है लेकिन इस बात से इन्कार किया है कि उसने पॉलिसी में जान-बूझकर काट छांटकर हेरफेर की है इसी कारण उसे पेश नहीं किया गया है।

42. इस संबंध में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि बीमा पॉलिसी की जो प्रति उन्हें प्राप्त हुई थी उसकी प्रति उन्होंने प्रकरण में पेश की है और कोई कूटरचना नहीं की है। बीमा कंपनी उत्तरदायित्व से बचने के लिये गलत आक्षेप लगा रही है। जबकि बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया है कि अनावेदकगण के द्वारा या उनके हित के लिये किसी के द्वारा बीमा अवधि में हेरफेर किया गया है। इसी कारण असल पॉलिसी पेश नहीं की गई जो कि अनावेदकगण के पास है इसलिये बीमा कंपनी उत्तरदायी नहीं है।

43. अभिलेख पर इस संबंध में आर्टिकल-ए के रूप में जो फोटोप्रति पेश की गई है उसमें बीमित अवधि दिनांक 20.05.10 से 19.05.11 की अवधि का उल्लेख है जो रात्रि में बारह बजे के बाद से प्रारंभ होने वाले समय से लेकर 19.05.11 की मध्य रात्रि तक है। उक्त पॉलिसी मुताबिक दिनांक 20.05.10 को जारी होना अंकित किया गया है किन्तु आर्टिकल-ए के दस्तावेज को सुदृढ़ इस आधार पर नहीं माना जा सकता है कि प्रकरण में अनावेदक क्र0-1 व 2 आपस में पिता-पुत्र हैं और शत्रुघ्न अनावेदक क्र0-2 ने असल बीमा पॉलिसी अपने घर पर उपलब्ध होना भी बताया है। ऐसे में उसके द्वारा असल बीमा पॉलिसी का पेश न किया जाना भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-114 (छ) के अंतर्गत प्रतिकूल उपधारणा अंकित करता है कि उक्त असल दस्तावेज अवश्य ही अनावेदक क्र0-1 व 2 के विरुद्ध रहा होगा अन्यथा उपलब्ध होते हुए पेश किया जाता। ऐसे में आर्टिकल-ए के आधार पर कोई निष्कर्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता है। हालांकि अभिलेख पर बीमा कंपनी की ओर से कूट रचना के संबंध में कोई कार्यवाही किये जाने के प्रमाण पेश नहीं हैं। कूटरचना एक दाण्डिक अपराध है जिसके लिये वह कार्यवाही को स्वतंत्र है। क्षतिपूर्ति के दावे के कल्याणकारी उपबंध होने से क्षतिपूर्ति की सीमा तक ही दस्तावेज की सुसंगतता या असंगतता को निष्कर्षित किया जा सकता है।

44. अभिलेख पर जो सामग्री है, उससे दुर्घटना की भी पुष्टि हुई है। और अनावेदक क्र0-2 के ट्रैक्टर से अनावेदक क्र0-1 के चालन के फलस्वरूप होना भी प्रमाणित हुई है। बीमा पॉलिसी पेश किये जाने के दायित्व के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध जुगलकिशोर ए0आई0आर0 1988 एस0सी0 पेज-719** में यह मार्गदर्शन दिया गया है कि बीमा

पॉलिसी या उसकी प्रति को पेश करने का दायित्व वाहन स्वामी/या बीमा कंपनी का होता है। यदि बीमा कंपनी को पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन का बचाव लेना हो। इस प्रकरण में बीमा कंपनी ने यही बचाव लिया है। और बीमा कंपनी के पास उपलब्ध रिकॉर्ड से उसकी प्रमाणित प्रति को अनावेदक साक्षी क्र०-1 की अन्वेषण रिपोर्ट को अंग बनाते हुए प्र०डी०-2 सी के रूप में पेश किया है जिससे सर्वप्रथम तो दुर्घटना दिनांक को अनावेदक क्र०-2 का वाहन ट्रैक्टर स्वराज क्रमांक-यू०पी०-75/9232 को बीमा होना नहीं पाया जाता है।

45. यदि क्षण भर के लिये आर्टिकल-ए के दस्तावेज को विश्वसनीय मानकर दुर्घटना दिनांक 30.05.10 को अनावेदक ट्रैक्टर को बीमित होना मान भी लिया जावे तो बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन के बिन्दु पर विचार करना होगा। और बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन के समर्थन में अभिलेख पर साक्ष्य आई है जिसमें अनावेदक क्र०-3 बीमा कंपनी की ओर से प्र०डी०-1 लगायत 4 के दस्तावेजों को पेश करते हुए अनिलकुमार राठौर अना०सा०-1 ने बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन ट्रैक्टर की पॉलिसी केवल कृषि प्रयोजन के लिये होने और उसमें केवल ट्रैक्टर चालक का जोखिम कवर होने तथा तृतीय पक्ष के लिये क्षतिपूर्ति की सीमा 7,50,000/-रुपये तक होना बताया है। आवेदकगण इस प्रकरण में तृतीय पक्षकार की श्रेणी में नहीं आते हैं क्योंकि दुर्घटना में किसी अन्य वाहन से दुर्घटना नहीं हुई है। बल्कि ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी थी। और आवेदकगण उक्त दुर्घटनाकारी ट्रैक्टर व उसके साथ संलग्न ट्रॉली में अनुग्रह यात्री के रूप में यात्रा कर रहे थे क्योंकि इस संबंध में स्वयं चालक शत्रुघ्न अना०सा०-2 ने साक्ष्य देते हुए यह स्वीकार किया है कि रास्ते में आवेदकगण मिल गये थे और महिला बच्चों सहित पूरा परिवार होने से उसने उन्हें बैठा लिया था। कोई किराया नहीं लिया था। किराये के संबंध में आवेदकगण की साक्ष्य में भी कोई तथ्य नहीं आया है। किन्तु चारों आवेदकगण ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्पष्ट स्वीकारोक्ति की है कि वे अनावेदक क्र०-1 शत्रुघ्न द्वारा चलाये जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली में चंदोखर से लोधे की पाली तक की यात्रा कर रहे थे और उन्हें यह भी जानकारी है कि ट्रैक्टर खेती एवं माल ढोने के लिये होता है। यात्री साधन नहीं है। इसका कोई खण्डन नहीं हुआ है। हेतसिंह आ०सा०-2 ने भी इसी प्रकार की साक्ष्य चारों प्रकरणों में दी है।

46. ऐसी स्थिति में निर्विवादित रूप से कोई यात्री परमिट न होने से वाहन में बिना परमिट सवारियों का परिवहन किया जाना परिलक्षित होता है। जहाँ तक अनुग्रह यात्री के रूप में आहतगण की स्थिति बताई गई है उस बारे में सुदृढ़ साक्ष्य नहीं है।

47. अभिलेख पर प्रस्तुत बीमा पॉलिसी की शर्तों का अवलोकन करने पर उसमें तृतीय पक्ष के लिये साढ़े सात लाख रुपये का रिस्क कवर है। जो प्रीमियम लिया गया है उसमें चालक का जोखिम कवर है। किन्तु बीमा पॉलिसी कृषि भिन्न प्रयोजन से नहीं है। कृषि प्रयोजन की गई थी। हालांकि बीमा पॉलिसी के शीर्षक में miscellaneous and special types of vehicle policy उल्लेख है। लेकिन जो शर्तें और जो सीमाएं पॉलिसी में दर्शित हैं वे भी ट्रैक्टर ट्रॉली में अनुग्रह

यात्री के रूप में किसी को लेजाना या किसी रूप में यात्री परिवहन को अधिकृत नहीं करती है। माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा इस संबंध में न्याय दृष्टांत **लक्ष्मनदास विरूद्ध राजू ठाकुर 2007 भाग-1 एम0पी0डब्ल्यू0एन0 एस0एन0 4** में यह प्रतिपादित किया गया है कि प्रीमियम केवल चालक के लिये दी गई हो और ट्रैक्टर में किसी अन्य व्यक्ति के लिये यात्रा करने के लिये अनुमति नहीं है तो बीमा कंपनी उत्तरदायी नहीं होगी। न्याय दृष्टांत के मामले में मृतक ट्रैक्टर में यात्रा कर रहा था तथा न्याय दृष्टांत **मिथलेश विरूद्ध बृजेन्द्रसिंह 2007 भाग-1 एम0पी0एल0जे0 पेज-315** में भी यह मार्गदर्शित किया गया है कि यदि ट्रैक्टर ट्रॉली कृषि उद्देश्य के लिये बीमित हो और उसका गैर कृषि उद्देश्य के लिये उपयोग किया जाये तो ऐसे में ट्रैक्टर में बैठे व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु होने पर बीमा कंपनी का उत्तरदायित्व नहीं होगा।

48. यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि यदि दुर्घटना दिनांक को अनावेदक क्र0-2 के स्वामित्व का दुर्घटनाकारी ट्रैक्टर यदि बीमित होता तो उसके ही पुत्र शत्रुघन अनावेदक क्र0-1 से पुलिस द्वारा जप्त किया गया था तब बीमा पॉलिसी पेश की जाती और तब भी अनावेदक क्र0-1 व 2 की ओर से बीमा पॉलिसी को प्रकट नहीं किया गया है। इसी कारण पुलिस द्वारा प्र0पी0-1 के अभियोग पत्र में धारा-146/196 एम0व्ही0एक्ट 1988 के अपराध का इजाफा किया गया था जिसके बारे में अनावेदक क्र0-1 व 2 मौन हैं। ऐसे में सर्वप्रथम तो दुर्घटना दिनांक को वाहन बीमित नहीं है और यदि बीमा माना भी जाये तब भी बीमा पॉलिसी की शर्तों का उपर वर्णित अनुसार स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि बिना परमिट सवारियों का परिवहन किया गया था। फलतः अतिरिक्त वाद प्रश्न क्रमांक-4 अनावेदक क्र0-3 के पक्ष में निर्णीत कर प्रमाणित ठहराते हुए यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अनावेदक क्र0-2 व 3 बीमा कंपनी कारित दुर्घटना में आवेदकगण को पहुंची शारीरिक क्षति की पूर्ति करने के लिये कतई उत्तरदायी नहीं हैं।

#### **-:- वाद प्रश्न क्र0-2 व 3 -:-**

49. इस संबंध में चारों आवेदकगण ने अपनी आ0सा0-1 के रूप में दी गई अभिसाक्ष्य में दुर्घटना में आई चोटों के कारण कई दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहना और इलाज में रुपये खर्च करना बताया है जिससे संबंधित कोई भी दस्तावेज उन्होंने प्रकरण में पेश नहीं किया है। आवेदक प्रहलाद ने अपने अभिसाक्ष्य में इलाज में 32000/-रुपये खर्च करना, पौष्टिक आहार में 15000/-रुपये खर्च करना, एक अटेण्डर रखना जिसका पांच हजार रुपये खर्चा बताते हुए, पेट में दर्द रहने के ऐवज में एक माह तक मजदूरी न कर पाने के लिये 30000/-रुपये की आर्थिक हानि बताई है। और डेढ सौ रुपये प्रतिमाह के हिसाब से 4500/-रुपये का नुकसान होना भी बताया है। इस तरह से उसने कुल क्षतिपूर्ति 86500/-रुपये एवं उस पर ब्याज की मांग की गई है। किन्तु यह स्वीकार किया है कि उन्होंने इलाज संबंधी कोई दस्तावेज पेश नहीं किया। वह अटेण्डर शब्द ही नहीं समझता है जैसा कि उसने पैरा-9 में स्वीकार किया है। अभिलेख पर जो उसकी एम0एल0सी0 रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि

प्र0पी0-3 के रूप में संलग्न है, उसमें केवल साधारण उपहति बताई है उसे न तो भर्ती रखा गया न ही आगे कोई उपचार की सलाह दी गई। ऐसे में जो खर्च वह इलाज में पौष्टिक आहार में, अटैण्डर के रूप में बताता है वह कतई प्रमाणित नहीं है। और हेतसिंह अ0सा0-2 का इस संबंध में साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है क्योंकि वह सभी के इलाज खानपान में करीब 30-35 हजार रुपये का खर्च बताता है और उसने अटैण्डर के संबंध में तो स्पष्ट खण्डन कर दिया है क्योंकि उसने यह बताया है कि आहतगण की देखरेख उसने की थी, अन्य कोई अटैण्डर या नौकर नहीं रखा।

50. उक्त बिन्दु के संबंध में प्र0क0-22/14 की आवेदिका कुमारी कल्पना के द्वारा इलाज में 25 हजार रुपये खर्च करना, कई दिनांक तक भर्ती रहना, दवा दूध, पौष्टिक आहार में 18 हजार रुपये अटैण्डर के लिये दो हजार रुपये खर्च करना बताते हुए पीठ की हड्डी टूटना कहा है और पीढा के लिये 30 हजार रुपये तथा 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 3000 रुपये आय का नुकसान बताया है। उसकी ओर से भी कोई दस्तावेज इस संबंध में पेश नहीं किया गया है। उसकी एम0एल0सी0 रिपोर्ट प्र0पी0-7 के मुताबिक उसे भी साधारण चोटें आईं। भर्ती रखने का उल्लेख नहीं है। एक्सरे में अस्थिभंजन नहीं पाया गया है इसलिये उसकी पीठ की हड्डी टूटना भी प्रमाणित नहीं है और वह इलाज के खर्च का पर्चा पिता हेतसिंह द्वारा बनवाना बताते हुए अटैण्डर के रूप में भी अपने पिता को बताता है जिसका उसने कोई पैसा अलग से नहीं दिया था। उसने कुल क्षतिपूर्ति के रूप में 77 हजार रुपये मय ब्याज दिलाये जाने की प्रार्थना की है।

51. प्र0क0-23/14 की आवेदिका श्रीमती सुनीता ने इस संबंध में इलाज में तीस हजार रुपये खर्च करना कई दिनों तक भर्ती रहने, पौष्टिक आहार पर बीस हजार रुपये खर्च करना, अटैण्डर के रूप में पांच हजार रुपये खर्च करना, चोट के कारण सिर में दर्द के लिये तीस हजार रुपये और एक माह की मजदूरी सौ रुपये के हिसाब से तीन हजार रुपये की हानि बताते हुए उसकी कुल क्षतिपूर्ति अठसठ हजार रुपये होना बताई है। तथा प्र0क0-24/14 की आवेदिका शांतिबाई के द्वारा इलाज में पच्चीस हजार रुपये खर्च करना, कई दिन भर्ती रहना, पौष्टिक आहार पर पन्द्रह हजार रुपये खर्च करना, अटैण्डर के रूप में पांच हजार रुपये, शारीरिक पीढा के लिये पचास हजार रुपये और एक माह की मजदूरी का नुकसान सौ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से तीन हजार रुपये बताते हुए कुल क्षतिपूर्ति अन्ठानवै हजार रुपये बताई है। तथा चोट के कारण सिरदर्द बने रहने व चेहरा बिगड जाना वह कहती है जिसके संबंध में कोई दस्तावेजी चिकित्सीय प्रमाण नहीं है और उसने अपने अभिसाक्ष्य में पैरा-6 में यह स्वीकार किया है कि वह गृहणी है और घर की रोटी पानी करती है। उसने कोई नौकर अथवा काम करने वाला नहीं रखा है। वह भी अटैण्डर नहीं समझती है। सुनीता अटैण्डर पर 40-50 हजार रुपये खर्च करना कहती है।

52. शांतिबाई की एम0एल0सी0 रिपोर्ट प्र0पी0-7 के मुताबिक उसके उपर का एक दांत टूटकर निकल गया था जिसके आधार पर उसकी चोट गंभीर बताई गई है। अन्य चोटें साधारण बताई गई हैं किन्तु उसे भी कहीं भर्ती रखा गया हो या अग्रिम उपचार कराया गया हो, इसका प्रमाण

नहीं है। इस तरह से हेतसिंह के कथन को देखते हुए अटेण्डर के रूप में कोई राशि खर्च नहीं हुई। और आवेदिका शांतिबाई के अलावा सुनीता एवं कल्पना ने अपने व्यवसाय में मजदूरी का उल्लेख किया है। लेकिन वे कहां किस प्रकार की मजदूरी करती हैं, ऐसा स्पष्ट नहीं है तथा उन्हें यदि मजदूर होना माना भी जाये तो उसे चोटों के कारण आर्थिक नुकसान होना इसलिये स्थापित नहीं होता है कि भर्ती रखने या अग्रिम उपचार का कोई प्रमाण नहीं है और एम0एल0सी0 करके ही उसे वापिस कर दिया गया। ऐसे में इलाज के मद में आवेदकगण प्रहलाद, कल्पना और सुनीता की साधारण चोटों को देखते हुए 1000—1000/—रुपये (एक एक हजार रुपये) की क्षतिपूर्ति एवं श्रीमती शांतिबाई को एक दांत टूटने को देखते हुए 5000/—रुपये (पांच हजार रुपये) की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने की पात्र होना पाई जाती है। तथा पौष्टिक आहार के मद में प्रमाण के अभाव में आवेदकगण प्रहलाद, कल्पना और सुनीता 500—500 रुपये (पांच पांच सौ रुपये) एवं शांतिबाई 2000/—रुपये (दो हजार रुपये) क्षतिपूर्ति की पात्र होना प्रकट होती है। अटेण्डर के मद में कोई राशि खर्च न होने से इस बाबत वे कोई क्षतिपूर्ति पाने के अधिकारी नहीं हैं। तथा पीड़ित रहने की अवधि स्पष्ट न होने से मजदूरी की हानि का पात्र भी केवल प्रहलाद का एक दिन की मजदूरी के लिये 300/—रुपये (तीन सौ रुपये) क्षतिपूर्ति दिलाई जाना उचित है।

53. चोटों के कारण शारीरिक पीड़ा के लिये प्रहलाद, कल्पना और सुनीता 1000—1000 रुपये (एक एक हजार रुपये) की क्षतिपूर्ति एवं शांतिबाई 2000/—रुपये (दो हजार रुपये) की क्षतिपूर्ति पाने की पात्र है। अन्य कोई क्षतिपूर्ति पाने की उपयुक्तता नहीं पाई जाती है। इस प्रकार से आवेदक प्रहलाद कुल क्षतिपूर्ति के रूप में 2800/—रुपये (दो हजार आठ सौ रुपये) प्राप्त करने का पात्र है। तथा आवेदकगण कल्पना व सुनीता 2500/—रुपये (दो हजार पांच सौ रुपये) प्राप्त करने की अधिकारिणी है। तथा आवेदिका शांति बाई 9000/—रुपये (नौ हजार रुपये) प्राप्त करने का पात्र होना पायी जाती है। और वाद प्रश्न क्रमांक-4 के विश्लेषण में यह निष्कर्ष आ चुका है कि अनावेदक क०-3 बीमा कंपनी उत्तदायित्व से मुक्त है। इसलिये उक्त क्षतिपूर्ति राशि आवेदकगण मय छः प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित अनावेदक क०-1 व 2 से संयुक्ततः और पृथक्ततः प्राप्त करने के अधिकारी हैं। तदनुसार वाद प्रश्न क्रमांक-2 व 3 आंशिक रूप से आवेदकगण के पक्ष में प्रमाणित निर्णीत किये जाते हैं। अतः आवेदकगण के पक्ष में एवं अनावेदक क०-1 व 2 के विरुद्ध निम्न आशय का अधिनिर्णय पारित किया जाता है कि:-

अ. आवेदक प्रहलाद कुल क्षतिपूर्ति के रूप में 2800/—रुपये (दो हजार आठ सौ रुपये), आवेदकगण कुमारी कल्पना एवं श्रीमती सुनीता 2500—2500 रुपये (पच्चीस पच्चीस सौ रुपये), और आवेदिका श्रीमती शांतिबाई 9000/—रुपये (नौ हजार रुपये) एवं उस पर अधिनिर्णय दिनांक से पूर्ण अदायगी तक छः प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित क्षतिपूर्ति राशि अनावेदक क०-1 व 2 से संयुक्ततः व पृथक्ततः पाने के अधिकारी हैं। जो अनावेदक क०-1 व 2 द्वारा एक माह के भीतर भुगतान किये जावें। अन्यथा स्थिति में आवेदकगण वैधानिक कार्यवाही कर उक्त राशि मय ब्याज वैधानिक

कार्यवाही कर उक्त राशि मय ब्याज विधिवत वसूल कर सकेंगे।  
ब— आवेदकगण का प्रकरण व्यय अनावेदक क0-1 व 2 अपने प्रकरण व्यय के साथ वहन करेंगे। जिसमें अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर या सूची अनुसार जो भी कम हो, जोडा जावे।

तदनुसार व्यय तालिका बनाई जावे।

दिनांक— **08.05.15**

अधिनिर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया

**(पी.सी. आर्य)**  
सदस्य द्वितीय मोटरयान दावा  
दुर्घटना अधिकरण, गोहद  
जिला भिण्ड

**(पी.सी. आर्य)**  
सदस्य द्वितीय मोटरयान दावा  
दुर्घटना अधिकरण, गोहद  
जिला भिण्ड